राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 783/2006/धौलपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गर्ग एनटरप्राईजेज, मनियां, धौलपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जतिन हरजाई, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/01/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 520/उपा–भरत/03–04/RST में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.06.2005 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 26.02.2004 को वाहन (टैंकर) संख्या एम.पी. 06 ई/1391 को धौलपुर में चम्बल (ग्वालियर) की ओर से जाते हुए चैक किया गया। वाहन में 140 क्विंटल सोया रिफायण्ड ऑयल परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित मैसर्स गर्ग एन्टरप्राईजेज, मंगरोल रोड़, मनिया जिला धौलपुर का बिल संख्या 8 दिनांक 25.02.2014 (प्रेषिति व्यवहारी–मैसर्स एच.के.ट्रेडर्स, रूपवास, भरतपुर, कीमतन रूपये 6,37,000/–) एवं गोयल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, आगरा की बिल्टी संख्या 372 दिनांक 25.02.2004 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होने पर माल को कब्जेराज लिया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब दिनांक 05.03.2004 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि उनके द्वारा परिवहनित माल मैसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, निवाई, टोंक से जरिये बिल संख्या 1548 दिनांक 25.02.2004 खरीद किया गया है। उक्त माल टैंकर संख्या एम.पी. 06 ई/1391 से मंगवाया गया है तथा अनलोडिंग किये बिना सीधे ही विक्रय किया गया है। व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवहारी है। लेखा–पुस्तकों का नियमित रूप से संधारण

लगातार.....2

किया जाता है। खाद्य तेल का होलसेल व्यापार किया जाता है। उक्त जवाब के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रेषिति व्यवहारी मैसर्स एच. के. ट्रेडर्स, रूपवास भरतपुर के प्रोपराईटर श्री हेमेन्द्र कुमार; मनिया, धौलपुर निवासी श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री गोपीचंद, श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सूरजभान के शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त शपथपत्रों के आधार पर जांच की जाने पर मैसर्स एच. के. ट्रेडर्स, रूपवास भरतपुर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी से माल खरीदने से इंकार किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री गोपीचंद, श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री सूरजभान नाम के व्यक्ति मनिया धौलपुर में नहीं रहना पाया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के निकटतम पड़ौसी मैसर्स लखनलाल पुत्र श्री कपूरचन्द ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर किसी प्रकार का व्यापार नहीं होना तथा दिनांक 25 व 26.02.2004 को तेल का कोई टैंकर नहीं आना जाहिर किया। जांच में यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का मुख्य व्यवसाय स्थल खैरागढ़ (यू.पी.) में स्थित है, जहां से वह नियमित कारोबार करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में करापवंचन की मंशा तथा माल राज्य से खैरागढ़ (यू.पी.) ले जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 1,91,000/– का आरोपण आदेश दिनांक 12.03.2004 से किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.06.2005 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वाहन का संचालन नियमित राजमार्ग के बजाय अनियमित रास्ते से किया जा रहा था, ताकि विभागीय चैकपोस्ट पर दस्तावेजों का इन्द्राज नहीं करवाया जा सके। चैकिंग के दूसरे दिन प्रत्यर्थी फर्म मालिक श्री नरेन्द्र गर्ग ने बताया था कि उक्त माल मनियां से भरा गया है, जबकि जांच में मनियां में कोई कारोबार होना नहीं पाया गया। जवाब में यह जाहिर किया गया कि माल निवाई टोंक से जरिये बिल संख्या 1548 दिनांक 25.02.2004 खरीदा गया है, जिसकी खरीद राशि रूपये 6,58,450/– है। जबकि विवादित बिल संख्या 8 की खरीद राशि रूपये 6,37,000/– ही है। इस प्रकार रूपये 21,450/– का नुकसान दर्शाते हुए माल का विक्रय किया जाना स्पष्ट रूप से व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रदर्शित करता है। व्यवहारी द्वारा जिन व्यक्तियों के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये, जांच में उनका सत्यापन ही नहीं हो पाया। उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जबकि

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त परिवहन माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मौजूद थे। माल का विक्रय राज्य के भीतर से राज्य के भीतर ही किया जा रहा था। दस्तावेजों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा इंगित नहीं की गयी है। केवलमात्र सम्भावना के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। विवादित माल निवाई, टोंक से खरीदा गया, जिसका बिल सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। माल का विक्रय सीधे ही किया गया है, जिसमें लोडिंग/अनलोडिंग का प्रश्न ही नहीं था। व्यवहारी का व्यवसाय खैरागढ़ (यू.पी.) में होने तथा बिल्टी पर ट्रांसपोर्टर के फोन नं0 अंकित नहीं होने के आधार पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माल का परिवहन नियमित मार्ग का उपयोग नहीं करते हुए अनियमित मार्ग से किया जा रहा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य विभागीय चैकपोस्ट को बचाना है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि दस्तावेजों पर किसी चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं है। व्यवहारी द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये बिल संख्या 1548 एवं बिल्टी संख्या 499 दिनांक 25.02.2004 (निवाई से मनिया) पर भी किसी चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं है, जबकि रास्ते में वाणिज्यिक चैकपोस्ट ऊंचा नंगला, घाटोली पड़ती है। इसी प्रकार सक्षम अधिकारी का यह अंकन कि वाहन चम्बल चैकपोस्ट पर इंद्राज कराये बगैर धौलपुर से सैपंऊ की ओर मुड़ा, जो सड़क ग्वालियर (म.प्र.) की ओर जाती है, यह दर्शाता है कि माल ग्वालियर के लिये परिवहनित किया जा रहा था तथा करापवंचन की मंशा से दस्तावेज राज्य के भीतर के बनाये गये।

लगातार.....4

7. सक्षम अधिकारी का यह निष्कर्ष कि निवाई से मनियां की दूरी 700 किमी. है, जबकि रूपवास, भरतपुर मनियां से पहले ही पड़ता है तो वाहन को मनियां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उचित प्रतीत होता है, क्योंकि व्यवहारी के अनुसार माल का सौदा मनियां पहुंचने से पहले ही हो गया था, जबकि वाहन चालक द्वारा वक्त चैकिंग माल मनिया से भरना बताया गया है। व्यवहारी के अनुसार माल निवाई से दिनांक 25.02.2004 को लोडिंग किया जाकर मनिया के लिये रवाना किया गया, दिनांक 25.02.2004 को ही मनियां से रूपवास के लिये रवाना किया गया एवं दिनांक 26.02.2004 को प्रातः 7.00 बजे धौलपुर में चैक किया गया, जो कि लगभग 900 किमी. के आस–पास होता है। साधारण परिस्थितियों में एक टैंकर द्वारा 12–15 घण्टे में माल लोडिंग/अनलोडिंग करते हुए 900 किमी. परिवहनित किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा बताये गये समस्त तथ्य प्रथम दृष्टया मिथ्या प्रमाणित होते हैं।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि माल शुभम् इण्डस्ट्रीज निवाई से जरिये बिल संख्या 1548 दिनांक 25.02.2004 से खरीदा गया है। उक्त बिल में 14000 किग्रा. तेल की खरीद राशि रूपये 6,58,450/– अंकित है, जबकि विवादित बिल संख्या 8 दिनांक 25.02.2004 में विक्रय राशि रूपये 6,37,000/– अंकित है। इस प्रकार रूपये 21,450/– का नुकसान उठाते हुए माल का उसी दिन विक्रय दर्शाया जाना भी व्यवहारी की करापवंचन की मानसिकता की पुष्टि करता है। वक्त जांच प्रस्तुत बिल्टी गोयल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, टी.पी.नगर, आगरा (यू.पी.) की है, जिसमें ट्रांसपोर्टर के फोन नं0 इत्यादि जानकारी नहीं है; वाहन संख्या एम.पी.06/ई–1391 काम में लिया गया है, वाहन की चैकिंग धौलपुर से सैपंऊ तथा ग्वालियर (एम.पी.) जाने वाली सड़क पर पीछा करते हुए की गयी है। उक्त समस्त तथ्यों से भी यही प्रतीत होता है कि करापवंचन के आशय से मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था।

9. सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित वाहन संख्या एम.पी.06/ई–1391 से सम्बन्धित जांच में पाया गया कि उक्त वाहन प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का ही वाहन है। पूर्व में भी दिनांक 19.12.2003 को उक्त वाहन को अनियमित मार्ग पर परिवहन के दौरान पकड़ा जाकर करापवंचन के प्रकरण में अभियोजित किया जाकर अधिनियम की धारा 78(10ए) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था। माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपील संख्या 3560/2005/जयपुर

लगातार.....5

सहायक आयुक्त, प्रति–करापवंचन, भरतपुर बनाम विनोद कुमार पुत्र श्री रामदास वाहन चालक, टैंकर संख्या एम.पी. 06/ई–1391 एवं मालिक टैंकर नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल दत्तापुरा, मुरैना (एम.पी.) में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2008 में इसी वाहन को करापवंचन का दोषी मानते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश दिनांक 04.12.2003 अन्तर्गत धारा 78(10ए) की पुष्टि की है। इस तथ्य से भी यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी स्वयं के वाहन का उपयोग करते हुए मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन करने का आदतन दोषी है।

10. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेजों के द्वारा माल का परिवहन किया जा रहा था तथा करापवंचन की मंशा से ही गलत तथ्य एवं दस्तावेज पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात आदेश पारित करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना, शास्ति आदेश अपास्त किया गया है। अतः अपीलीय आदेश तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

11. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 03.06.2005 अपास्त किया जाता है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2004 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
01.01.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य